पुनश्च चूंकि प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जा चुकी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम बुहारू स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 378 रकबा 7-09 बीघा में अप्रार्थी सं. 1 से 3 को प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग, काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2020.01.01 12:49:28 IST
Reason: SelfAttested